न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. सौम्या झा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः— 43/2010

पुरुषोत्तम पुत्र श्रीभगवानदास जाति वैश्य, निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर (मृतक) वादी

1/1. सुभाष
1/2. नैमीचन्द } **पिसरान पुरुषोत्तम जाति वैश्य निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।**
1/3. व्रजेश

.....

वादीगण

बनाम

1. **राज0 सरकार जरिये कलै0 साहब भरतपुर**
2. **तहसीलदार भरतपुर**
3. **ग्राम पंचायत चिकसाना प0स0 सेवर जिला भरतपुर जरिये सरपंच**

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः—

10—04—2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 774 मिन/0—4 स्थित ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर का वादी खातेदार काश्तकार काबिज है जो साविक खसरा नंबरान से निम्न प्रकार निर्मित किया गया है —

वर्तमान		गत
773 / 0–16	774 मिन / 0.4	485 / 1.05

नकल जमाबंदी हाल, साविक एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है।

भू–प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल गलती से 774मिन / 0–4 को साविक खसरा नंबर 484 / 1.11 से बनना गलत अंकित कर दिया है। जबकि मौके पर स्थिति के अनुसार साविक खसरा नंबर 485 से 5 बिस्वा रकबा लिया जाकर नया नंबर 744 मिन / 0.4 निर्मित किया है, नक्शा हाल व साविक पेश है।

भू–प्रबंध की कार्यवाही समाप्ति के बाद खातेदारी की प्रविष्टियां वादी के नाम नहीं कर सिवायचक सरकार की प्रविष्टियां कर दी गई हैं जो कतई गलत हैं और निरस्तनीय हैं। भू–प्रबंध विभाग को राजस्व अभिलेख में गत जमाबंदी की प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति (Repeat) किया जाना चाहिए। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में आराजी वर्णित खण्ड सं0 1 वादपत्र पर खातेदारी की सिवायचक की प्रविष्टियां कतई गलत एवं निरस्तनीय हैं।

गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादी की खातेदारी व काबिजी अधिकारों को मानने से इंकार हो रहे हैं। उन्होंने अभी दिनांक 30.03.2010 को वादी को खुलेआम धमकी दी है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नाजायज है, उसे अतिशीघ्र आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावेगा व आराजी के दीगर व्यक्तियों को पट्टे आदि कर हस्तांतरण किया जावेगा। प्रतिवादीगण की इस धमकी से एवं गलत इन्द्राज सिवायचक से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए वादी न्यायालय श्रीमान से यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि वादी आराजी वर्णित खंड सं0 1 वादपत्र का खातेदार काश्तकार काबिज है तथा राजस्व

अभिलेख में सिवायचक सरकार की प्रविष्टियां गलत एवं निरस्तनीय है।

प्रतिवादीगण के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने दिनांक 30.03.2010 को मौके पर आकर वादी को यह खुलेआम धमकी दी है कि प्रतिवादीगण अब वादी को विवादित आराजी से अतिशीघ्र एकाध रोज में जबरन बेदखल करेंगे तथा आराजी मुत0 का पट्टा आदि कर अन्यत्र हस्तांतरण करेंगे। अगर प्रतिवादीगण इस धमकी एंव कृत्य में सफल हो गये तो वादी को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी नकद धनराशि से नहीं हो सकेगी। वदी वजह वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण आराजी वर्णित खंड सं0 1 वादपत्र से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा आराजी मुतनाजा का पट्टा आदि कर अन्यत्र हस्तांतरण नहीं करें।

दावा करने से पूर्व प्रतिवादीगण के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना होता है, लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का वाद होने के कारण बिना नोटिस दिये न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धारा 80(2) सीपीसी पृथक से पेश है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादी के नाम हो रहे सिवायचक सरकारी के इन्द्राज गलत हैं, जो निरस्तनीय हैं एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी इस कदर जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान नहीं करे तथा विवादित आराजी का पट्टे आदि कर अन्यत्र हस्तांतरण नहीं करे।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2064–2067, नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग, नकल मौका पर्चा दि0 22.06.2007, नकल आदेश 14.04.1983 उपखंड अधिकारी भरतपुर, नकल रिपोर्ट 22.06.1983, 10.06.1983 नकल आदेश 27.04.1983, नकल दि0 20.12.1989 आर0ए0ए0 भरतपुर,

नकल संभागीय आयुक्त भरतपुर 05.02.2008 नकल मौका रिपोर्ट पेश की है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.05.2012 को पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दि0 27.04.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार पैरोकार सरकार को जवाब हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने पर दिनांक 06.09.2016 को इनके जवाब का अवसर समाप्त कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी को भी कई अवसर दिये गये, किंतु साक्ष्य न आने पर दिनांक 11.10.2018 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की। अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया।

वादी का वादपत्र में मूल कथन यह है कि खसरा न0 774 मिन/0–4 का रकबा खसरा न0 484/1–11 से बनाना गलत अंकित किया है जबकि मौके के अनुसार यह खसरा न0 485/0–5 विस्वा से बनाया है इस प्रकार वादी द्वारा खसरा न0 774 में 4 एयर पर खातेदारी चाही गई है इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी द्वारा गत् खसरा न0 484 व 485 की कोई जमाबन्दी बन्दोबस्त से पूर्व की पेश नही की है और न ही खसरा न0 773 की कोई हाल जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है और न ही उपरोक्त नम्बरो का मिलान क्षेत्रफल वादी द्वारा पेश किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ समस्त दस्तावेजी साक्ष्य क्यो प्रस्तुत नही की है, यह संदेहास्पद है। वादी द्वारा मूल रूप से यह तथ्य स्पष्ट करना था कि उसका हाल खसरा न0 773/0.16, 4 एयर कम दिया है

और प्रतिवादी का हाल खसरा न0 774/0.14 गत के मुकाबले हाल में बेशी दिया है इस तथ्य के लिये यद्यपि वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया है, किन्तु वादी द्वारा खसरा पत्रक भूप्रबन्ध विभाग का पेश किया है जिसमे गौर करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रतिवादी का हाल खसरा न0 774/0.14 साविक खसरा न0 484 मिन रकवा 01 बीघा 6 विस्वा, खसरा नं0 485 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन से बना होना दर्शित किया है इस प्रकार प्रतिवादी का रकवा वर्तमान 10.8 एयर कम दिया गया है इस प्रकार जब प्रतिवादी का साविक के अनुपात में वर्तमान में कम आया है तो वादी का 4 एयर रकवा किस प्रकार प्रतिवादी के रकवा में बढ सकता है क्योकि अगर वादी का 4 एयर रकवा प्रतिवादी के रकवा में शामिल किया जाता तो निश्चित ही प्रतिवादी का रकवा वर्तमान में बेशी होता जो नही है। यहां यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है एकमात्र खसरा न0 773 का विवरण वादपत्र में दिया है वादी के ग्राम चिकसाना में कितनी खातेदारी के नम्बर है उनका रकवा साविक व हाल में कितना आया है इसका उल्लेख भी वादपत्र में वादी द्वारा नही दिया गया है। ये तथ्य वादी द्वारा जानबूझकर छिपाना प्रतीत होता है।

वादी द्वारा अन्य जो भी दस्तावेज वादपत्र के साथ पेश किये है उनमें खसरा न0 774 की बाबत् कोई भी उल्लेख नही है वादी द्वारा सम्वत् 2036 का खसरा पत्रक वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी पुरूषोत्तम के नाम दर्ज है लेकिन मौका पर्चा दिनॉक 22.06.2007 के अनुसार खसरा न0 773 में पुरूषोत्तम पुत्र भगवानदास (वादी) 191934/193600 हिस्सा व विजयपाल, कुन्दनसिंह, अमरनाथ पिसरान लज्जाराम हिस्सा 1666/193600 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है इससे यह भी जाहिर होता है आराजी अकेले पुरूषोत्तम की नही रही है वादी द्वारा विजयपाल, कुन्दन, अमरनाथ पिसरान लज्जाराम को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनॉक 02.09.2006 में यह उल्लेख किया गया है कि खसरा न0 773 की पश्चिमी मेढ गत नक्शा के मुकाबले 4 मीटर कम आई है जो

भरतपुर से अछनेरा वाली सडक में मिला दी गई है प्रार्थी का खेत गैर मुमकिन सडक महकमा इन्जीनियरिंग में चला गया है उक्त तथ्य की जानकारी वादी को दिनॉक 02.09.2006 से ही प्राप्त है लेकिन वादी द्वारा महकमा इंजीनियरिंग विभाग को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया इस प्रकार वादी का वादपत्र पक्षकारो के असंयोजन से भी बाधित है।

वादी द्वारा प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य संपूर्ण रूप से पेश नही की है तथा वादी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उसको भी प्रमाणित नही कराया है। वादी अपने दावा को क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष लेकर नही आया है वादी अपने वादपत्र को सिद्ध करने में पूर्णतयाः असफल रहा है अतः दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनॉक 10.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ0 सौम्या झा)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर